इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 558] भोपाल, गुरूवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 17, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्र. बी-1-30-2011-2-पांच, (33).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 9 से मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला रायसेन को आंशिक रूप से छूट प्रदान करती है तथा उन्हें भारत निर्मित विदेशी मदिरा को नैसर्गिक पैकिंग में भारत के बाहर निर्यात करने की अनुज्ञा प्रदान करती है.

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला रायसेन को भारत के बाहर निर्यात किए जाने वाले इंडिका रॉयल माल्ट व्हिस्की के लेबल पर एतद्द्वारा, निम्नलिखित ब्यौरा या शब्द समूह अंकित करने से छूट प्रदान की जाती है:—

1. ''मदिरा का उपभोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है''
2. मध्यप्रदेश में शुल्क का भुगतान नहीं किया गया.
3. विनिर्माण का धान (बैच) संख्या, मास एवं वर्ष
4. ब्रांड/लेबल की पंजीयन संख्या
5. अधिकतम खुदरा मूल्य/न्यूनतम विक्रय मूल्य
6. बाटल्ड इन एफ. एल-9/एफ. एल-9-क

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला रायसेन को भारत के बाहर निर्यात किए जाने वाले इस लेबल पर एतद्द्वारा, निम्नलिखित, ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने की भी मंजूरी दी जाती है:—

1. ROI में विक्रय हेतु नहीं.
2. 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को उपभोग की अनुज्ञा नहीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्र. बी-1-30-2011-2-पांच, (33).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-30-2011-2-पांच, (33), दिनांक 8 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 8th December 2011

No. B-1-30-2011-2-V- (33).—In exercise of the powers conferred by Section 66 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby exempts M/s Som Distilleries Pvt. Ltd,. Sehatganj, District Raisen partially from the Rule 9 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and permits it to export Indian made Foreign Liquor out of India in Natural Packing.

M/s Som Distilleries Pvt. Ltd. Sehatganj, District Raisen is hereby exempted from printing following detail or group of words on the label of Indica Royale Malt Whisky meant only for exporting out of India:—

1. "Consumption of liquor is injurious to health"
2. Duty not paid in Madhya Pradesh
3. Batch No. month and year of manufacture
4. Registration No. of brand/label
5. MRP/MSP
6. Bottled in F. L.-9/F.L.-9-A

M/s Som Distilleries Pvt. Ltd, Sehatganj District Raisen is also hereby allowed to put following details on this label while exporting out of India:—

1. Not for sale in ROI
2. Not permitted for consume minors under the age of 18 years.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.